


भारतीय गैर न्यायिक


दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL



UTTAR PRADESH

13AA 321775

" प्रारूप 26 "

(नियम 4 का देखिए)

014 धनोल्दी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तरखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ-पत्र

मैं, इसरा पवार पुत्री श्री धनोल्दी

आयु- 28 वर्ष, जो ग्राम- डारमहा, पट्टी- सुतावा,
तहसील- धनोल्दी, जिला- टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लम्बित मामलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/किए गये हैं- नहीं
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- शून्य

ii- पुलिस थाना- बनारस नदी, जिला- बनारस राज्य- उ

क्रमशः-2-पर

- iii- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- लागू नहीं
- iv- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई- लागू नहीं
- v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गये थे- लागू नहीं
- vi- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है- लागू नहीं
- 2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- i- मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं- लागू नहीं
- ii- न्यायालय, जिसने दण्डित किया है- लागू नहीं

पुलिस थाना (थाने)- लागू नहीं, जिला (जिलों)- लागू नहीं राज्य- लागू नहीं

- iv- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- लागू नहीं
- v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/ सुनाए गये थे- लागू नहीं
- vi- क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गये हैं- लागू नहीं

स्थान- नई टिहरी।
तारीख- 12.11.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

Solely affirmed by Sponors
Shri. ...
R/o ...
On ...

नई टिहरी, दिनांक- 12.11.2012 को सत्यापित किया।

Advocate
Notary Dhanoli
Tehri Garhwal